सं. 19024/1/2012-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

******

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 10 अक्तूबर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी खाते में बुक की जाने वाली हवाई टिकटों पर प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों द्वारा लगाए जाने वाले 'सरलीकरण शुल्क' के संबंध में।

इस विभाग के 28 मई, 2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों को सरकारी खाते में बुक करवाई जाने वाली हवाई टिकटों पर मैसर्स बॉमर लॉरी एवं कम्पनी लिमिटेड (बीएलसीएल) द्वारा अपने बिलों में प्रभारित एजेंसी कमीशन/शुल्क इत्यादि का, इस मामले में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक भुगतान न करने की सलाह दी गई थी।

2. इस मामले पर विचार किया गया है और अब यह निर्णय लिया गया है कि एयर इंडिया/एयर लाइंस द्वारा लेन-देन शुल्क की वापसी के स्थान पर प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों, अर्थात् मैसर्स बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), अशोक ट्रेवल्स एवं टूअर्स (एटीटी) और आईआरसीटीसी को हवाई यात्रा के लिए जहां हवाई यात्रा की लागत भारत सरकार वहन करती है, घरेलू सेक्टर में 100/- रुपए प्रति टिकट और अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर में 300/- रुपए प्रति टिकट का 'सरलीकरण शुल्क' लगाने की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, ये दरें भावी प्रभाव से लागू की जाएंगी अर्थात् की गई यात्राओं के लिए प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों द्वारा प्रस्तुत बिलों में यह शुल्क शामिल नहीं होना चाहिए।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों को पुन: सलाह दी जाती है कि जहां तक संभव हो, सरकारी खाते में हवाई टिकटें सीधे एयर इंडिया/एयरलाइंस (बुकिंग काउन्टर/कार्यालय/बेवसाइट) से प्राप्त की जाएं। प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों की सेवाएं तभी ली जाएं जब एयर इंडिया/एयरलाइंस से सीधे टिकट प्राप्त करना संभव न हो। इन अनुदेशों को कड़ाई से पालन के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लाया जाए।

सुभाष चंद

(सुभाष चंद)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और अन्य सरकारी कार्यालय (मानक डाक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: एनआईसी को व्यय विभाग की बेवसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने के लिए।